

आर्थिक कमजोर वर्ग (Economically Weaker Sections)के व्यक्तियों को
Income & Assesment Certificate जारी करने के संबंध में अनुमोदित प्रारूप

जांच रिपोर्ट ग्राम पंचायत—पंचायत समिति

आवेदक जिनके पास ग्राम पंचायत का विक्रय विलेख (पट्टा) उपलब्ध है एवं जिनके पास
ग्राम पंचायत का विक्रय विलेख(पट्टा) उपलब्ध नहीं (दोनों के लिए)

क्रमांक _____

दिनांक _____

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में दिये गये विवरणानुसार एवं
दस्तावेजों के आधार पर तथा मौके पर की गई जांच के अनुसार श्री/श्रीमती/कुमारी
_____ पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री/श्रीमती _____ ग्राम _____ ग्राम
पंचायत _____ तहसील _____ जिला _____ का/की निवासी है तथा

1. यह है कि ग्राम पंचायत में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर प्रार्थी /प्रार्थी के परिवार के
_____ (पिता/माता/पुत्र/पत्नी/स्वयं) श्री/श्रीमती/ कुमारी _____ पुत्र/पत्नी/पुत्री
श्री/श्रीमती _____ के नाम ग्राम पंचायत _____ पंचायत समिति _____ द्वारा
_____ वर्ग गज/वर्ग मीटर का विक्रय विलेख(पट्टा) संख्या _____ दिनांक
_____ को जारी किया गया है।
2. यह है कि ग्राम पंचायत में मौका निरीक्षण एवं सत्यापन के आधार पर प्रार्थी /प्रार्थी के परिवार
के _____ (पिता/माता/पुत्र/पत्नी/स्वयं)श्री/श्रीमती/ कुमारी _____ पुत्र/पत्नी/पुत्री
श्री/श्रीमती _____ के पास ग्राम पंचायत _____ पंचायत समिति _____ में
वर्ग गज/वर्ग मीटर का आवास भूखण्ड है जिसका विक्रय विलेख(पट्टा) जारी नहीं हुआ
है। जिस पर उसका परिवार काबिज है।
प्रार्थी का राशन कार्ड संख्या _____ है।

हस्ताक्षर

ग्राम विकास अधिकारी

ग्राम पंचायत _____

नोट—उपरोक्त प्रमाण पत्र के बिन्दु संख्या -1 व 2 में अंकित विवरण में यदि आवास भूखण्ड
उपलब्ध नहीं है उसमें शून्य अंकित किया जावे।

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक-एफ.28()पंचायत/प्रशा-2/ग्राविज/आय-पट्टा/प्र.प./2019/1756 जयपुर,दिनांक 09.05.19
प्रतिनिधि :मुख्य /अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त को सामाजिक न्याय एवं
अधिकारिता विभाग तथा पंचायती राज विभाग द्वारा उपरोक्तानुसार अनुमोदित प्रारूप आवश्यक कार्यवाही
है।

(सुनील शर्मा)

संयुक्त सचिव एवं
संयुक्त आयुक्त